संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

7/1/17

क्रमांक / 103 / स्था / नग्रानि / 2017 भोपाल, दिनांक ~~9/1/17~~

/ / कार्यालयीन आदेश / /

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ–6–1/2002/अ.प्र.1/भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर 2002 में निहित निर्देशों के अनुसार (प्रीमीटिव ट्राइव का होने के कारण) दिये गये विशेष सुविधा में छानबीन समिति द्वारा पदों की पूति हेतु **म.प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग** आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा शर्ते नियम 1976 में उल्लेखित नियम 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा का अस्थाई सदस्य मानकर स्थानापन्न रूप से **चौकीदार** के पद पर वेतनमान रू.4440–7440 +1300/– ग्रेड– पे (प्रारंभिक मूलवेतन रूपये 4750+1300/– ग्रेड पे) के न्यूनतम वेतन एवं शासन के नियमानुसार अन्य स्वीकृत देय भत्तों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधोलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर (कॉलम क्रमांक 6) पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	नाम / पिता का नाम	लिंग	चयन सूची वर्ग	गृह जिला	स्थान जहां पदस्थ किया गया है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सरिता धुर्वे श्री सन्तू सिंह	महिला	अनुसूचित जनजाति / बैगा	मण्डला	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय **छतरपुर**

1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–सी–3–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुसार, ''यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी''।
2. नियमित कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप)
3. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

5. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।
6. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समयसीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राप्तांको के आधार पर मैरिट क्रमानुसार किया जावेगा।
10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
12. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करते समय संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/ मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि करा के प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण हेतु संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

7.1.17

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

Ord-ord Sc.St. Posting order-(2)17

7/1/17

पृ.क्रमांक / 104 / स्था / नग्रानि / 2017 भोपाल, दिनांक 7/1/17

प्रतिलिपि :–

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय **छतरपुर** को सूचनार्थ।
2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बिछिया, जिला मण्डला म.प्र. की ओर सूचनार्थ। सरिता धुर्वे अनुसूचित जनजाति बैगा के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृप्या इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
3. **सरिता धुर्वे** पिता श्री सन्तू सिंह ग्राम हरिटोवा पो.मवई तह.बिछिया, जिला मंडला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. व्यक्तिगत नस्ती।
6. रोस्टर लिपिक।

7.1.17

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

Ord-ord Sc.St. Posting order-(2)17